

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
110 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
01-10-2025

तारीख पेशी
03-11-2025

प्रार्थी विधि सिंह पुत्र ख्याली राम, निवासी महाल नटेहड़, मौजा उजैन, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल नटेहड़, मौजा उजैन, पटवार वृत्त जोगीपुर में बुधि सिंह पुत्र ख्याली राम दर्ज है, जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम विधि सिंह पुत्र ख्याली राम दर्ज है, जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम बुधि सिंह पुत्र ख्याली राम चन्द की बजाए विधि सिंह पुत्र ख्याली राम का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
20 / 24 / TEH

तारीख दायरा
01-10-2025

तारीख पेशी
03-11-2025

प्रार्थी निर्मल प्रकाश पुत्र हरि राम पुत्र परमा, निवासी महाल व मौजा नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल नदेहड़, पटवार वृत्त मटौर में निर्मल पुत्र हरि राम पुत्र परमा दर्ज है जोकि गलत है, जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम निर्मल प्रकाश पुत्र हरि राम पुत्र परमा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम निर्मल पुत्र हरि राम की बजाए निर्मल प्रकाश पुत्र हरि राम पुत्र परमा का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
39 / 2023
40 / 2023

तकसीम

तारीख पेशी
13-10-2025

महिन्द्र सिंह

बनाम

देवांश आदि

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 01, खतौनी नं0 01, खसरा नम्बरान कित्ता 14, रकबा 0-79-90 है0 व खाता नं0 04, खतौनी नं0 04, खसरा नम्बर 476, कित्ता 1, रकबा 0-48-90 है0 व स्थित महाल बुहली भडवाल, पटवार वृत्त मटौर, जमाबन्दी साल 2019-20, तहसील व जिला कांगड़ा।

इशतहार/मुश्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी वीर सिंह पुत्र सालीग्राम, श्रीमती अंजना पत्नी निगम डडवाल, निवासी मतरेहड़, तहसील नगरोंटा बंगवा, श्रीमती संजना देवी पत्नी देविन्दर सिंह, निवासी सलोल, नितिज पुत्र व श्रीमती कुमारी कृतिका पुत्री श्रीमती मंजू विधवा नरेश कुमार पुत्र मुन्शी राम व सौरभ पुत्र व कुमारी स्वाती, कुमारी सविता व श्रीमती कमलेश कुमारी विधवा कृपाल सिंह व मेहर सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी महाल बुहली भडवाल, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इशतहार/मुश्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 13-10-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
41 / 2023

तकसीम

तारीख पेशी
13-10-2025

महिन्द्र सिंह

बनाम

सौरभ आदि

प्रार्थना-पत्र तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत भूमि खाता नं0 03, खतौनी नं0 03, खसरा नम्बरान 202, 213, 488, कित्ता 3, रकबा 0-34-78 है0 स्थित महाल बुहली भडवाल, जमाबन्दी साल 2019-20, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा।

इश्तहार/मुश्री मुनादी।

उपरोक्त तकसीम प्रकरण इस अदालत में जेरे समायत है प्रत्यार्थी सौरभ पुत्र व कुमारी स्वाती, कुमारी सविता व श्रीमती कमलेश कुमारी विधवा कृपाल सिंह व मेहर सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी महाल बुहली भडवाल, तहसील व जिला कांगड़ा व वीर सिंह पुत्र सालीग्राम, श्रीमती अंजना पत्नी निगम डडवाल, निवासी मतरेहड़, तहसील नगराटा बंगवा, श्रीमती संजना देवी पत्नी देविन्दर सिंह, निवासी सलोल, महिन्दर पुत्र अमर नाथ पुत्र राम दास, निवासी महाल बुहली भडवाल, तहसील व जिला कांगड़ा को इस अदालत द्वारा समन जारी किए गए लेकिन उक्त प्रतिवादी हाजिर अदालत न आ रहे हैं। जिससे इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी की इत्तलाह साधारण तरीके से न हो सकती है अतः इस इश्तहार/मुश्री मुनादी द्वारा तामील करवाई जाती है।

अतः उपरोक्त फरीकैन को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन दिनांक 13-10-2025 को बाद दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज इस तकसीम बारे पेश कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0
109 / 2025 / TEH

तारीख दायरा
01-10-2025

तारीख पेशी
03-11-2025

प्रार्थी तपिन कुमार पुत्र तरसेम चन्द, निवासी महाल व मौजा भड़यारा, तहसील व जिला कांगड़ा,
हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल व मौजा भड़यारा, पटवार वृत्त भड़यारा, तपिल कुमार पुत्र तरसेम चन्द दर्ज है। जोकि गलत है। जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम तपिन कुमार पुत्र तरसेम चन्द पुत्र परमा दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम तपिल कुमार पुत्र तरसेम चन्द की बजाए तपिन कुमार पुत्र तरसेम चन्द का सही इन्द्राज दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 03-11-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01-10-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी भड़ोली,
उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

क्रमांक : रीडर / 2025

सलदेव कुमार पुत्र श्री किकर सिंह, निवासी गांव बेडली, डा0 व उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजपत्र में प्रकाशन हेतु।

सलदेव कुमार पुत्र श्री किकर सिंह, निवासी गांव बेडली, डा0 व उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि सलदेव कुमार या सरदेव कुमार एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सलदेव कुमार या सरदेव कुमार के बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-10-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है।

आज दिनांक 25-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भड़ोली, उप-तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
